रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225215
CG-DL-E-17022021-225215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942
No. 651] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

नीति आयोग

(अटल नवप्रवर्तन मिशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 706(अ).—जबकि, सेवाओं, हितलाभों या सब्सिडियों की प्रदायगी के उपयोग के लिए पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के परिणामस्वरूप सरकार की प्रदायगी प्रक्रियाएं सरल हुई है, इनमें पारदर्शिता और दक्षता आई है, और लाभार्थी एक सुकर और सुचारू रीति में अपनी पात्रताओं को सीधे प्राप्त करने में सक्षम बने हैं।

और जबकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने, सुअभिशासन के लिए आधार प्रमाणन (सामाजिक, कल्याणकारी, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, हितलाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) (जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा (4) की उप-धारा (4) के खंड (ख) के पैरा (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने काशी (कैश ओवर इंटरनेट) कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणन का उपयोग करने के लिए अटल नवप्रवर्तन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार को प्राधिकृत किया है।

और जबकि, यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आधार प्रमाणन को प्राधिकृत किया है:

i. आधार प्रयोक्ताओं के अधिप्रमाणन और ओटीपी के संयोजन को शामिल करते हुए ग्राहक की डिजीटल ऑन-बोर्डिंग

ii. आधार संख्या क्रेडिट पात्रता की गणनाओं के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) लेन-देने के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

और जबकि, काशी (कैश ओवर इंटरनेट) ऐसे क्रेडिट समाधानों की पेशकश करने वाला आद्योपांत डिजीटल प्लेटफार्म है जिनका उपयोग स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए कार्यशील पूंजी या कृषि कामगारों या निम्न आय समूहों, जो अन्यथा "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)", जो विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों से पात्र व्यक्तियो को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खाते में सब्सिडियों के अंतरण के तंत्र को परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, के पात्र हैं, की खपत/तत्काल आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

और जबकि, काशी प्लेटफार्म पर क्रेडिट जोखिम अंकन के लिए आधार के रूप में आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग किया जाएगा।

और जबकि, काशी परियोजना, अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) के अंतर्गत लाभार्थियों को सुकर और निर्बाध हितलाभ प्रदान करने के लिए, नीति आयोग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण" के लाभार्थियों को काशी पहल, जो लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पूरे देश में वित्तीय समावेशन लाने पर लक्षित है, के सामाजिक हितलाभों से अवगत कराने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा।

यह अधिसूचना सभी राज्यों और भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 11017/19/2020- एआईएम]

आर. रमणन, मिशन निदेशक (एआईएम) तथा अपर सचिव, नीति आयोग

NITI AAYOG

(ATAL INNOVATION MISSION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 706(E).—Whereas, the use of Aadhar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner.

And whereas, In exercise of the powers conferred by Para (ii) of clause (b) under sub-section(4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted delivery of financial and other subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (as amended) (here in referred to as " act") read with Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social, Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020,Unique Identification Authority of India (**UIDAI**) and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India have authorised Atal Innovation Mission , NITI Aayog, Government of India to use Aadhar authentication of its Kashi (Cash over Internet) programme on voluntary basis.

And whereas, UIDAI and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India have authorized the authentication of Aadhaarfor the following purposes:

i. Digital on-boarding of customer involving authenticating user of Aadhaar and OTP combination

ii. Aadhaar number will act as unique identifier for DBT (Direct Benefit Transfer) transaction for credit eligibility calculations.

And whereas, Kashi (Cash over Internet) is an end-to-end digital platform offering credit solutions that can be used towards working capital for self employed or for consumption / urgent needs of agricultural workers or low income groups who are otherwise entitled to the "Direct Benefit Transfer" (DBT) which is a Program by Government of India to change the mechanism of transferring subsidies from various welfare schemes directly to the eligible people through their bank accounts.

And whereas, Kashi platform shall use Aadhaar based Direct Benefit Transfer (DBT) flows as basis for credit underwriting.

And whereas, in order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Kashi project, Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog through its implementing agencies shall make all the required arrangements to make beneficiaries of the "Direct Benefit Transfer" aware of the social benefits of the Kashi initiative that aims to bring financial inclusion across the country to enhance the socio-economic status of the beneficiaries.

This notification shall come into effect from the date of publication in all the states and union territories of the Government of India.

[F. No. 11017/19/2020-AIM]

R.RAMANAN, Mission Director (AIM) & Addl. Secy., NITI Aayog

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.17 20:04:03 +05'30'